न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चित्रकूट।

रोशनी देवी **बनाम** विक्रम सिंह
प्रकीर्णवाद सं0–292/2026
धारा–173(4)बी.एन.एस.एस.
थाना–कर्वी, जनपद चित्रकूट

27.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिया/आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर विपक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर संबंधित थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी से विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. मय शपथ–पत्र प्रार्थिया/आवेदिका की ओर से इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया रोशनी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह चन्देल निवासी सदर बाजार सी०आई०सी० रोड के पास कर्वी थाना कर्वी जनपद चित्रकूट की निवासिनी है। जिससे संबंधित वाद को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त है। प्रार्थिया के पति नरेन्द्र सिंह जिला देवास म०प्र० में आनन्द ऋषि नगर 102 देवास मध्य प्रदेश में प्राइवेट कम्पनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है तथा प्रार्थिया के सगे रिश्तेदार विक्रम सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी रैपुरा हाल मुकाम चमड़ा मण्डी के पास कर्वी थाना व तहसील कर्वी जिला चित्रकूट उ०प्र० है। विक्रम सिंह मुझ प्रार्थिया व मेरे पति से भली भांति परिचित है। उक्त विक्रम सिंह ने मुझ प्रार्थिया व मेरे पति से दिनांक 03.11.2024 से 20.07.2025 तक भिन्न–भिन्न तिथियों के द्वारा मु0 922400/– रूपये गूगल पे व फोन पे के द्वारा प्राप्त कर किया है। जिस पर विक्रम सिंह द्वारा बराबर आश्वासन देता रहा कि मैं आपका रूपया वापस कर दूंगा। किन्तु विक्रम सिंह द्वारा आज तक मुझ प्रार्थिया का एक भी रूपये वापस नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त व्यक्ति चालू व फितरती किस्म के व्यक्ति है। चूंकि प्रार्थिया को अब जानकारी हुई है कि विक्रम सिंह ने कई लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी व छल कपट करके उनका पैसा हड़पने की नियत से पैसा ले लिया हे और उनका पैसा वापस नहीं किया है। चूंकि उक्त व्यक्ति दबंग व फितरती किस्म का व्यक्ति है उक्त विक्रम से कई बार अपना रूपया मांगा और कहा कि हमने आपके बुरे वक्त में मदद किया था आज मुझ रूपयों की सख्त जरूरत है लेकिन उक्त व्यक्ति आज भी रूपये मांगने पर कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी रूपया वापस नहीं करूंगा तुमको जो दिखाई दे कर लो। प्रार्थिया ने एक लिखित प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थिया ने दिनांक 12.05.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चित्रकूट व डी०आई०जी० महोदय चित्रकूट धाम परिक्षेत्र बांदा व श्रीमान् गृह सचिव महोदय लखनऊ को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिया लेकिन प्रार्थिया के साथ हुई धोखा धड़ी व छल कपट की न तो आज तक प्राथमिकी दर्ज की गयी और न ही विपक्षी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी। प्रार्थिया ने दिनांक 13.05.2026 को जनसुनवाई पोर्टल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पोर्टल में शिकायत संख्या 40017126004759 के माध्यम से दर्ज करायी थी लेकिन प्रार्थिया के उपरोक्त शिकायत का आज तक कोई निस्तारण नहीं किया गया और न ही जांच की गयी है और न ही प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर इलाकाई पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। प्रार्थिया के साथ उक्त आरोपी विक्रम सिंह द्वारा छल कपट व धोखाधड़ी की गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना कराया जाना तथा मुझ प्रार्थिया की मु0 922400/–रूपये दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना है कि प्रार्थिया की उक्त प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने तथा मुझ प्रार्थिया की धनराशि मु0 922400/– रूपये हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी को आदेशित किये जावे कि वे उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे या करावे तथा कृत कार्यवाही से माननीय न्यायालय को अवगत कराये जाने की कृपा की जावे।

प्रार्थिया/आवेदिका की ओर से प्रार्थना–पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट को प्रेषित पत्र की प्रति, एक प्रति थानाध्यक्ष,रजिस्ट्री रसीद, एक व आधार कार्ड की एक प्रति दाखिल की गयी है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर संबंधित थाने की आख्या आहूत की गयी। संबंधित थाने की आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण के संबंध में संबंधित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थिया/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र में जो भी तथ्य अंकित किये गए है, प्रार्थिया/आवेदिका की पूर्ण जानकारी में है, जिसे वह साक्ष्य से साबित कर सकता है। प्रार्थिया/आवेदिका उक्त कृत्य के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दशा में विधि व्यवस्था **रामबाबू गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.**(2011) (43)ACC ,50 **व गुलाब चन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.**(2002) **क्रि. लॉ. 2907, चन्द्रिका सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.** 2007(50)ACC 777, ***सुखबासी बनाम उ0प्र0 राज्य इलाहाबाद क्रिमिनल केसेज ए0सी0सी0(59) 2007 पेज 739*** तथा **श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,** 2011(74) ACC 2016 SC में दी गई विधि व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को परिवाद के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायहित में समीचीन है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस.परिवाद केस के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते परिवादी बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस. दिनांक 25.08.2026 को पेश हो।

(राजेन्द्र प्रसाद भारती)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

J.O.Code–UP6469